न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
इजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर

मुकदमा संख्या 26/18 विविध

पंजाब नेशनल बैंक के.ई.एम.रोड़, बीकानेर जरिये मुख्य शाखा प्रबन्धक पी.एस.थिंड

–प्रार्थी

: ब ना म :

मैसर्स शिव शक्ति पोलिमर्स पता एच–9 रीको इण्डस्ट्रियल एरिया नापासर बीकानेर जरिये पार्टनर्स श्रीमती अंजना बाना पत्नी श्री श्रीराम बाना, श्री कमल बाना पुत्र श्री श्रीराम बाना निवासीगण सूरज विहार गली नं. 3 अम्बेडकर कॉलोनी बीकानेर दूसरा पता सी–510 अदिति एक्सोटिका, पंथुर मैन रोड़ कदबशानली बैंगलुरू–560103

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरस्ट एक्ट,2002

उपस्थितिः–

1 प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि श्री सुरेश शर्मा उपस्थित।
2 अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री विजय शर्मा हाजिर।

: आ दे श :

दिनांक 04.02.19

1. प्रार्थी **बैंक** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं उनके अधिवक्ता के कथनानुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी **बैंक** द्वारा **अप्रार्थी/ऋणी** को ऋण सुविधा के तौर पर **दिनांक 09.03.12 को अवधि ऋण रूपये 80,00,000/– नगद ऋण राशि 20,00,000/– कुल एक करोड़ रूपये की राशि** उपलब्ध करवाई थी एवं उक्त ऋण की एवज में **अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्लॉट नं. एच –9 रिको इंडस्ट्रीयल नापासर, बीकानेर भवन व मशीनरी आदि स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1085 वर्गमीटर** को प्रार्थी **बैंक** के हक में उक्त ऋण के पेटे साम्यिक बंधक रखा गया था। **अप्रार्थी** द्वारा **प्रार्थी/ बैंक** के साथ हुए अनुबंध के नियमानुसार ऋण राशि नहीं चुकाये जाने पर **अप्रार्थी/ऋणी** के खाते को दिनांक **13.10.17** को **एन.पी.ए.** घोषित कर दिया गया व **अप्रार्थी/ऋणी** के खाते में **रूपये 59,21,761/– दिनांक 13.10.2017 से** ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे **बैंक** के विरूद्ध बकाया निकलते है। **अप्रार्थी/ऋणी** के ऋण खाते को **एन.पी.ए.** घोषित हो जाने पर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी **बैंक** द्वारा **अप्रार्थी/ऋणी/जमानती** को दिनांक **24.10.17** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु इसके पश्चात् माननीय न्यायालय में दायर इस प्रार्थना–पत्र की दिनांक तक अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई व ना ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी **बैंक** को दिया गया। प्रार्थी **बैंक** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया गया है कि **अप्रार्थी/ऋणी/जमानती** द्वारा प्रार्थी **बैंक** के हक में बंधक रखी गई सम्पति का कब्जा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थी **बैंक** को दिलाया जावे। प्रार्थी **बैंक** द्वारा इस प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है।

जिला कलेक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. प्रार्थी **बैंक** के इस प्रार्थना–पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थीपक्ष को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपति प्रस्तुत की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. **प्रार्थी/ बैंक** के प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी **बैंक** द्वारा अप्रार्थीगण/ऋणी को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। ऋण सुविधा प्राप्त करने के बाद अप्रार्थीगण/ऋणी बकाया राशि चुकाने में विफल रहे है। इस पर अप्रार्थीगण/ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिये जाने के बावजूद भी बकाया राशि प्रार्थी **कम्पनी** के यहां जमा नहीं करवाई गई है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4. अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा एतराज प्रार्थना–पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में बैंक द्वारा सिविल वाद संख्या 145/2018 न्यायालय डीआरटी, जयपुर के यहां पेश कर रखा है। इस प्रकार एक ही प्रकरण में दो वाद पेश करने का बैंक को विधिक अधिकार नहीं हैं परिवाद में श्री पी.एस. थिण्ड द्वारा सशपथ बयान किया है कि धारा 14 के अलावा अन्य कोई प्रकरण भारत के किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है जबकि इनके द्वारा ही जयपुर में वाद प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार न्यायालय को गुमराह करने के लिए दो कार्यवाही की जा रही है। शाखा प्रबंधक द्वारा परिवाद के साथ गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि खाते दिनांक 13.10.17 को एनपीए कर दिये गये जबकि सी.सी.एकाउण्ट एनपीए नहीं था। एनपीए का नोटिस मिलने से पहले दिनांक 23.10.17 को 30,000 रूपये जमा होने से सीसी लिमिट रेगुलर हो चुकी थी। एनपीए घोषित करना गलत है। अप्रार्थी का टर्म लोन का खाता था जिस पर ब्याज की गणना गलत की गई है। एनपीए खाते में ब्याज लगाने का नियम नहीं है। उक्त प्रकरण में बैंक द्वारा दिनांक 06.08.18 को दौरान ए परिवाद धारा 13(4) का नोटिस दिया गया है जिससे स्पष्ट साबित हो गया है कि परिवाद पेश करते समय धारा 13(4) का नोटिस सर्व नहीं हुआ था। इस प्रकार उक्त परिवाद प्री– मेच्योर हो गया है। इस प्रकार का परिवाद चलाने का कोई विधि संगत आधार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक खारिज किया जावे

5. हमारे द्वारा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। विद्वान वकील अप्रार्थी के कथनानुसार इस प्रकरण से सम्बन्धित अन्य सिविल वाद सं. 145/18 माननीय न्यायालय डी.आर.टी. जयपुर में जैरकार है। प्रार्थी बैंक द्वारा इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के पैरा सं0 11 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रकरण में वर्णित बंधक संपत्ति के सम्बंध में अन्य कोई वाद किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर रखा है। ना ही अपील ऋण वसूली प्राधिकरण व अन्य न्यायालय में लम्बित है। प्रार्थी बैंक द्वारा जैर वाद का उल्लेख शपथ पत्र में नहीं कर तथ्य को छिपाया है। ऋण का खाता एनपीए होने के पश्चात् ब्याज की गणना गलत की गई है। इसके अतिरिक्त धारा 13(4) का नोटिस भी दौराने परिवाद दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तु प्रार्थना पत्र में कतिपय कमियां होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है।

6. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक प्रकरण की कमी पूर्ति करने के पश्चात् पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

7. आदेश आज दिनांक 04.02.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट एव
जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner